



प्रेषक,

कपिल देव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 24 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय से सम्बन्धित विभिन्न व्यय को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-1136-40/खा0ग्रा0बो0/लेखा/पी0यू0सी0/2026-27, दिनांक 01.07.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-5 के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय से सम्बन्धित विभिन्न व्यय को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 1900.00 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-17/2026/179/59-2-2026/001-1805737, दिनांक 13 अप्रैल, 2026 द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि रु0 475.00 लाख (रूपये चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के उपनरान्त योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि रु0 1425.00 लाख (रूपये चौदह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) में से द्वितीय किश्त की धनराशि रु0 475.00 लाख (रूपये चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि की स्वीकृति की जा रही है।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-42-43/खा0ग्रा0बो0/लेखा/बजट/2026-27, दिनांक 07.04.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सम्बन्धित कार्ययोजना/प्रस्तावित व्यय विवरण के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ उपलब्ध करायेंगे। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को तत्समय उपलब्ध करा दी जाये।
- (7) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ उत्तरदायी होगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,75,00,000 (रुपये चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 005 लेखा शीर्षक 2851001050300** खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता **मानक मद 20** सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-17-X-2026-27, दिनांक 23.07.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कपिल देव
अनु सचिव।

संख्या-40/2026/299(1)/59-2-2026/002-1805737, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कपिल देव
अनु सचिव।